From,

Maharani Din,
Deputy Registrar,
High Court of Judicature at
Allahabad.

Request - 98

To,

The District Judge,
Hamirpur.

118

No. 16522 / IV- 2798 / Admin (A) / Dated 15-10-2011

Subject:- Matter regarding purchase of Revolver by Sri Chattradhari Singh Yadav, Chief Judicial Magistrate, Hamirpur.

Sir,

With reference to your endt. no. 1191/ I-9-2009 dated 19.07.2011 on the above subject, I am directed to say that after considering the explanation submitted by Sri Chattradhari Singh Yadav, Chief Judicial Magistrate, Hamirpur, in the matter of purchase of a Revolver without obtaining prior permission of the Court, the Court has been pleased to accord ex-post facto permission to Sri Yadav for purchase of the Revolver and, he be advised to be careful in future.

D.R.(M) Order placed below - May issue? K. Jaiswal 10-10-11

Sri Yadav may kindly be informed accordingly.

10-10-11 A.R.

Yours faithfully

Maharani Din
13-10-11
Deputy Registrar

119

No. 16523 / IV- 2798/ Admin (A) / Dated 15-10-2011

Copy forwarded for information & necessary action to Sri Chattradhari Singh Yadav, Chief Judicial Magistrate, Hamirpur.

Maharani Din
13-10-11
Deputy Registrar

Santosh
9-9-11
C.O. Encl

प्रेषक,

सी0एस0यादव,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
हमीरपुर।

File No. IV/2798
Serial No. 117

सेवा में,

मान्नीय महरानीदीन,
उप निबन्धक,
मान्नीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

Request-98 16-9-11

द्वारा – मान्नीय जनपद न्यायाधीश,
हमीरपुर।

विषय : पत्रांक 11321/IV-2798/Admin(A) दिनांकित 13-7-11 के परिप्रेक्ष्य में रिवाल्वर खरीदने के सम्बन्ध में कार्योत्तर अनुमति प्रदान करने के संदर्भ में।

मान्नीय महोदय,

उपरोक्त सम्बन्ध में ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थी को सरकुलर लेटर संख्या 11/IV h-16/Admin(A) दिनांकित 12-4-2010 के निर्गत होने के पूर्व प्रार्थी को रिवाल्वर का लाइसेंस दिनांक 10-11-09 को जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर द्वारा जारी किया गया था और लाइसेंस जारी होने के उपरान्त प्रार्थी ने दिनांक 31-1-11 को एन0पी0बी0 रिवाल्वर स्माल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर से क्रय किया था, जिसकी सूचना प्रार्थी द्वारा मान्नीय महोदय को दिनांक 11-2-2011 को प्रेषित की गयी, जिस पर मान्नीय महोदय द्वारा दिनांक 1-4-11 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी ने अपना स्पष्टीकरण दिनांक 6-4-11 को प्रेषित किया और तदोपरान्त मान्नीय महोदय द्वारा उपरोक्त पत्रांक 11321/IV-2798/Admin(A) दिनांकित 13-7-11 में यह उल्लिखित करते हुये कि उपरोक्त सरकुलर लेटर का उद्देश्य यह है कि शस्त्र खरीदने से पहले भी अनुमति ली जानी चाहिए थी। उपरोक्त सरकुलर में शस्त्र खरीदने के बावत पूर्व अनुमति लेने का स्पष्ट उल्लेख न होने के कारण प्रार्थी पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं कर सका है। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार से उपरोक्त सरकुलर अथवा उसकी मंशा का जान बूझ कर उल्लंघन नहीं किया गया है। यदि सरकुल में शस्त्र खरीदने से पहले अनुमति लिये जाने का उल्लेख होता तो प्रार्थी निश्चित रूप से मान्नीय महोदय से पूर्व अनुमति लेकर ही शस्त्र क्रय करता और यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई है तो वह भूलवश अनजाने में हुई है।

अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी को उपरोक्त रिवाल्वर क्रय करने के सम्बन्ध में कार्योत्तर अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाये। प्रार्थी द्वारा यदि किसी प्रकार की त्रुटि की गयी है तो प्रार्थी उसके लिए क्षमा प्रार्थी है।

3485
S.O. Admn H/A
7.9.11
D.R.(M)
07-09-11

ससम्मान।

दिनांक– 18-7-11

भवदीय,
18/7/2011
(सी0एस0यादव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
हमीरपुर।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश हमीरपुर

पत्रांक 11912 प्रथम-9-2009 दिनांकित 19.7.2011,
अग्रसारित

जनपद न्यायाधीश
हमीरपुर

जनपद न्यायाधीश
हमीरपुर (उ० प्र०)

A.R.
20-9-11

Request-98

From,

Maharani Din,
Deputy Registrar,
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,

The District Judge,
Hamirpur.

113
No. 11321 / IV- 2798 / Admin (A) / Dated 13-07-2011

Subject: - Matter regarding purchase of Revolver by Sri Chattradhari Singh Yadav, Chief Judicial Magistrate, Hamirpur.

Sir,

With reference to your endorsement no. 510/ I-9-2009 dated 06.04.2011 on the above subject, I am directed to say that the Court has been pleased to order that Sri Chattradhari Singh Yadav, Chief Judicial Magistrate, Hamirpur may kindly be informed that although he had obtained firearm licence on 10.11.2009, before issuance of this Court's C.L. 11/ IVh-16/ Admin (A) dated 12.04.2010, but according to intention and spirit of the said C.L., he should had to obtain prior permission of this Court for purchase of the revolver. The Court ordered that Sri Yadav may explain his conduct accordingly.

Sri Yadav may therefore, kindly be asked to submit his explanation in the matter, as required, so that further necessary action may be taken in the matter.

D.R.(M)
May kindly see the order dtd. 4-7-11 of Hon'ble Mr. Justice Imtiyaz Murtaza. May, if app, this letter be issued?
[signature] 08.07.11
[signature] 8-7-11 A.R.

Yours faithfully

Maharani Din
11-7-11

Deputy Registrar

114
No. 11322 / IV-2798/ Admin (A) dated 13-07-2011

Copy forwarded for information & necessary action to Sri Chattradhari Singh Yadav, Chief Judicial Magistrate, Hamirpur.

Maharani Din
11-7-11

Deputy Registrar

प्रेषक,

छत्रधारी सिंह यादव,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
हमीरपुर।

सेवा में,

मान्नीय महारानी दीन,
उप निबन्धक,
मान्नीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा : मान्नीय जनपद न्यायाधीश महोदय,
हमीरपुर।

विषय : कारण बताओ नोटिस का स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्ध में आपके पत्रांक 5741/IV-2798/ Admin((A) दिनांकित 1–4–2011 के द्वारा मुझे इस सम्बन्ध में कारण बताने हेतु निर्देशित किया गया है कि मैंने मान्नीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की अनुमति के बिना रिवाल्वर खरीदा है, जबकि मान्नीय उच्च न्यायालय के सरकूलर लेटर नम्बर **11/IV h-16/Admin (A)** दिनांकित 12–4–2010 के द्वारा रिवाल्वर क्रय की पूर्व अनुमति लेनी चाहिए थी।

उक्त सम्बन्ध में मुझे यह बिनम्र निवेदन करना है कि मुझे रिवाल्वर का लाइसेंस 10–11–09 को जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर द्वारा जारी किया गया था। इस तथ्य को वर्णित करने की आवश्यक्ता नहीं है कि लाइसेंस प्राप्ति हेतु जिला मजिस्ट्रेट महोदय को 10–11–09 के पूर्व प्रार्थना पत्र दिया गया होगा और जिस पर औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त ही मुझे रिवाल्वर का उक्त लाइसेंस जारी किया गया है।

यहाँ पर मैं श्रीमान् जी का ध्यान श्रीमान् जी के पत्र में अंकित सरकुलर लेटर नम्बर **11/IV h-16/Admin (A)** दिनांकित 12–4–2010 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। श्रीमान् जी उक्त सरकुलर लेटर मेरे रिवाल्वर के लाइसेंस प्राप्त करने हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र व लाइसेंस जारी करने की तिथि के समय अस्तित्व में नहीं था। इस कारण मेरे द्वारा उक्त सरकुलर लेटर में वर्णित शर्तो का अनुपालन आवश्यक नहीं था और इस कारण इस विषय में मेरी चूक नहीं है।

अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि उक्त कारणों से जारी किया गया कारण बताओ नोटिस निरस्त किये जाने योग्य है।

मेरे द्वारा प्रेषित की गयी सूचनाओं में सम्भवतः लाइसेंस की छाया प्रति संलग्न होने से रह गयी है, जिसके कारण भ्रान्ती उत्पन्न हुई है।

अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि कारण बताओ नोटिस को निरस्त करने की महती कृपा की जाये।

दिनांक– 6–4–2011

संलग्नक– रिवाल्वर लाइसेंस की छाया प्रति जो दिनांक 10–11–09 को स्वीकृत हुआ।

भवदीय,

(सी0एस0यादव) 6/4/2011
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
हमीरपुर।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश,हमीरपुर।

संख्या– 510 / प्रथम–9–2009 दिनांक : 6–4–2011

अग्रसारित।

जनपद न्यायाधीश,
हमीरपुर।

जनपद न्यायाधीश
हमीरपुर [उ0 प्र0]

Name of Licencee श्री कमधारी सिंह यादव C.J.M. हमीरपुर S/o श्री लालचन्द यादव

Father's Name मूल नि. ग्राम महमदपुर थाना - कोखराज जिला - कौशाम्बी

Age 50 वर्ष Date of Issue 10-11-2009

Address हाल नि. J-14 सिविल कोर्ट कैम्पस हमीरपुर थाना व जिला - हमीरपुर, उ. प्र.

Request-98

Self Attested
6/4/2011

D.M. हमीरपुर के आदेश दिनांक 03-11-2009 को [illegible]

Sl No. of Licence With P.S.	Name & Description and residence of licensee	Arms & ammunition that licence is entitled to possesed: Brief Description of each Weapon with detailed e.g. identification marks register number etc	Maximum to be possessed at any one time	Maximum purchase	Name Father's Name and residence of the retainer (if any) covered by the Licence	Name of Ammunition that retainer of entitled of possess: Arms	Ammunition	Area within which licence is valid	Date on which licence is valid	Date on which licence or the arms of both shall be produced for inspection before licencing authority under rules 50 (2)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
L.No. 383/4-2009/III-A/ P.S.-हमीरपुर उ.प्र.	श्री कमधारी सिंह यादव CJM हमीरपुर S/o श्री लालचन्द यादव मूल नि. ग्राम महमदपुर थाना कोखराज जिला - कौशाम्बी उ.प्र. हाल नि. J-14 सिविल कोर्ट थाना व जिला - हमीरपुर उ.प्र.	NPB रिवाल्वर / पिस्टल नं. P-5563 बोर-32 मेड- India	-10- (दस)	-25- (पच्चीस)				उत्तर प्रदेश	31-12-2011	जारी होने के दिनांक से तीन माह के अन्दर

(SEAL)

Licence Authority

प्रभारी अधिकारी (शस्त्र)
अपर जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर

Signature

(7) 06/10-11-09

दिनांक नवम्बर (8) 06/10, 2009

The arms convered by the licence shall be aquired and that the licence or the arms or the both shall be produced for his inspection and if within th period so specified or exterded the licence or the arms or both, as the case may be the licence shall cease to be inforce.

FROM OF RENEWAL OF THE LICENCE

Date and year of Renewal

(8)

FROM OF RENEWAL OF THE LICENCE

Date and year of Renewal

शस्त्र क्रय करके प्रस्तुत करने हेतु दि० 10.5.2010
तक का ... कृत किया जाता है।

2313

प्रभारी अधिकारी (शस्त्र)
कृते जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर

Request-98

(9)

FROM OF RENEWAL OF THE LICENCE

Date and year of Renewal

शस्त्र क्रय करके प्रस्तुत करने हेतु दि० 10.11.2010
तक का समय स्वीकृत किया जाता है।

13/08/2010

प्रभारी अधिकारी (शस्त्र)
कृते जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर

(10)

FROM OF RENEWAL OF THE LICENCE

Date and year of Renewal

शस्त्र क्रय करके प्रस्तुत करने हेतु दि० 10.02.2011
तक का ... कृत किया जाता है।

10/11/2010

प्रभारी अधिकारी (शस्त्र)
कृते जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर

(11)

Request 98

FROM OF RENEWAL OF THE LICENCE

Date and year of Renewal

(12)

FROM OF RENEWAL OF THE LICENCE

Date and year of Renewal

रिवाल्वर 0.32" (आई.ओ.एफ. मेक)
सं० P-5363 लघु शस्त्र निर्माणी।
कानपुर [illegible] सं० P-7557
दि० 31·01·11 के तहत जारी किया गया।
रिवाल्वर [illegible] तक
अबेचनीय/अहस्तान्तरणीय होगा।

कृते महाप्रबन्धक
लघु शस्त्र निर्माणी

(13)

Fax

From,

Harbansh Kumar Saxena,
District Judge,
Hamirpur.

To,

Sri Maharani Din,
Deputy Registrar,
High Court of Judicature at
Allahabad.

No. 511 /I-09-2009 Dated : April 06 , 2011

Subject : **Service of notice against Sri C.S.Yadav, C.J.M. Hamirpur regarding purchase of Revolver.**

Sir,

With reference to your letter no. 5741/ IV-2798/ Admin (A)/ Dated 01.04.2011 on the subject noted above I am to inform that a copy of notice no. 5741/ IV-2798/ Admin (A)/ Dated 01.04.2011 has given to Sri Chhatradhari Singh Yadav, C.J.M. Hamirpur after obtaining his signature in other copy as token of receipt. Which is enclosed herewith for office record.

Encl : As above

Your's faithfully

(Harbansh Kumar Saxena)
District Judge,
Hamirpur

District Judge
Hamirpur (U. P.)

Request-98

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

ADMINISTRATIVE (A-4) SECTION

SHOW CAUSE NOTICE

No. 5741 / IV- 2798/ Admin (A)/ Dated 01-4-2011

In the matter ~~regarding~~ of purchase of a Revolver by you on 31.01.2011, you have simply submitted information about purchase of the Revolver by means of your letter dated 11.02.2011, whereas you are required to apply first for grant of permission to purchase the Revolver as per the provisions of this Court's Circular Letter no. 11/ IV h- 16/ Admin (A) dated 12.04.2010. As such you have purchased the Revolver without obtaining prior permission of the Court.

You are, therefore, required to submit your explanation in the matter at the earliest for taking further necessary action.

By order of the Court

Registrar General

Sri Chhatradhari Singh Yadav,
Chief Judicial Magistrate,
Hamirpur.

Received
6/4/2011

Digitally signed by Sant Lal Sharma
Date: 2019.11.07 15:24:29 IST
Reason: A.R.(ADMIN-H)
Location: High Court, Allahabad